FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालम उप जिला कलेक्टर बसवा मुकाम बसवा

बसन्ती देवी पत्नि मनोज कुमार वगैरह .... बनाम कृष्णमुरारी वगैरह

किस्म मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा .... नं. .... सन 13/2022 (18/2022)

APP Crll

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.12.2022	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्षकारान वकील उपस्थित आए । वकील प्रार्थी द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि उनके द्वारा एक स्थानांतरण पत्र न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के सम्मुख विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 21.12.2022 नियत है । साथ ही मौखिक निवेदन किया गया कि चूंकि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित एक स्थानांतरण प्रा.पत्र न्यायालय अति. जिला कलक्टर महोदय दौसा के सम्मुख विचाराधीन है, अतः इस प्रकरण को उक्त प्रा.पत्र के निस्तारण नहीं होने तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन इस पत्रावली को स्थगित रखा जावे । हमने वकील प्रार्थी के शपथ पत्र एवं अभिकथनों के आधार पर पत्रावली का गहन अवलोकन एवं मनन किया । पत्रावली में संलग्न पत्र न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा का पत्रांक राजस्व/2022/760 दिनांक 26.7.2022 के अनुसार स्थानांतरण प्रा.पत्र संख्या 44/2022 उनवानी प्रकरण "बसन्ती देवी वगैरह बनाम नीरज कुमार मीना उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई वगैरह" न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन है । किंतु अब इस पत्रावली को संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा को स्थानांतरित कर दिया गया है एवं पीठासीन अधिकारी भी बदल गये हैं । अतः इस टी.ए. प्रा.पत्र का प्रभाव न्यायालय हाजा पर नहीं होता है । वकील प्रार्थी से न्यायालय हाजा के विरुद्ध कोई टी.ए./स्थगनादेश/निगरानी की पत्रावली आदिनांक विचाराधीन होने के बारे में पूछने पर, उन्होंने न्यायालय हाजा के विरुद्ध ऐसा कोई भी प्रकरण आदिनांक विचाराधीन होना नहीं बताया । लिहाजा न्यायालय अति. जिला कलक्टर महोदय दौसा के समक्ष विचाराधीन स्थानांतरण प्रा.पत्र का न्यायालय हाजा से संबंध नहीं होने से प्रस्तुत शपथ पत्र को खारिज कर संलग्न पत्रावली किया जाता है । पत्रावली में अप्रार्थी पक्ष का जवाब देखा गया तो, अप्रार्थी पक्ष द्वारा 14.8.2022 (14.7.2022) को ही जवाब पेश कर दिया है किंतु टी.आई. की पत्रावली के संलग्न "शीघ्र सुनवाई" की पत्रावली में उसे नत्थी कर रखा है । अतः इस जवाब को मूल टी.आई. पत्रावली में शामिल किया जावे । पत्रावली में अप्रार्थी सं. 3 की तलबी संलग्न नहीं है, अतः [illegible] । साथ ही प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थी पक्ष 1 व 2 की [illegible] इस हेतु पत्रावली आगामी तारीख 7.12.2022 को पेश [illegible]	
7.12.22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] हो चुका है, वादी एवं वकील वादी को सुबह से 3-4 बार आवाज लगवाई जा चुकी है, किंतु अब सायंकाल तक वादी व वादी वकील में से कोई उपस्थित नहीं आया। प्रकरण अदम हाजरी व अदम उपस्थिति में खारिज किया जाकर पत्रावली दाखिल [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2023.02.08 16:36:31 IST
Reason: SelfAttested